

15-6-2016

राजस्व लोक अदालत नाम आपके डार
के तहत उभय पक्षों को नोटिस जारी होने
के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
इसल सेवा केंद्र ग्रुप पलाई पर
पहुंच चुकी) वादीया मम वकील
उपायिता वादीया वाद को चलाना
नही चाहती है। अतः वाद वादीया
नोटिस के खारिज किया जाता है।
पत्रावली के लाल सुभर होकर तकर है
नक है तथा दफ्तर दाखिल है।